न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 49/2020

वैजनाथ राय वगै0.....वादीगण।
बनाम्
शांति देवी वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

14-11-2024

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता वादीगण की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 09.10.2024 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुए यह कथन करते हैं कि वादीगण ने यह वाद बंटवारा हेतू दाखिल किया है। टंकक की गलती से अर्जी में कुछ शब्द गलत टंकित हो गया है तथा कुछ शब्द अर्जी में टंकित होना छूट गया है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते है कि उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा उसे मुकदमा के प्रकृति में कोई परिर्वतन नहीं होता है तथा अनुरोध करते है कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। उनके द्वारा उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया जा चुका है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति अंकित किया गया है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिससे मुकदमें की प्रकृति में परिर्वतन नहीं हो रहा है।

अतः न्यायहित में वादीगण की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 09.10.2024 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को स्वीकृत किया जाता है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के आलोक में कार्यालय लिपिक के समक्ष अर्जी में सशोधन करें।

दिनांक 05.12.2024 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)